



## **The National School of Delhi University Act, 2007**

Act No. 1 of 2008

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(7)/LA-2007/17/08/693

Dated the 16<sup>th</sup> January, 2008

NOTIFICATION

No.F.14 (7)/LA-2007/ - The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 16<sup>th</sup> January, 2008 and is hereby published for general information: -

"The National Law School of Delhi University Act, 2007  
(Delhi Act 1 of 2008)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 26<sup>th</sup> December, 2007).

[16<sup>th</sup> January, 2008]

An Act for the establishment of a University by the name of the National Law School of Delhi University in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas the Committee appointed by the Chief Justices' Conference on Legal Education and Training (1993) has recommended the establishment in each State of an institution on the model of the National Law School of India University at Bangalore;

AND WHEREAS the All India Law Ministers' Conference (1995) has resolved to set up in each State a Law School modeled on the lines of the National Law School of India University at Bangalore for improving the quality of professional legal education;

AND WHEREAS it is considered necessary to encourage the establishment of such a national level institution of excellence in the field of legal education and research in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS in furtherance to this object, Government of National Capital Territory of Delhi and Delhi High Court have taken unto themselves the complete project of developing the integrated Complex and running the National Law School at Delhi, for attainment of this object;



AND WHEREAS it is deemed expedient to establish the University for the purpose hereinafter appearing.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

## CHAPTER I

### Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the National Law School of Delhi University Act, 2007
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -
  - (1) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (2) "Bar Council" means the Bar Council of Delhi constituted under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
  - (3) "Bar Council of India" means the Bar Council of India constituted under the Advocate Act, 1961 (25 of 1961);
  - (4) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
  - (5) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Delhi and includes the Judge performing the duties of the Chief Justice of the High Court of Delhi;
  - (6) "Executive Council" means the Executive Council of the University;



- (7) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (8) "Governing Council" means the Governing Council of the University;
- (9) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;
- (10) "Registrar" means the Registrar of the University;
- (11) "Regulations" and " Statutes" mean, respectively, the Regulations and Statutes of the University made under this Act;
- (12) "University" means the National Law School of Delhi University established under section 3 of this Act;
- (13) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University.

## CHAPTER II

### The University

- ishment of 3. (1) There shall be established in the National Capital Territory  
iversity. of Delhi a University by the name of "The National Law School of  
Delhi University at New Delhi".
- (2) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name represented by the Registrar of the University.
- (3) The University shall be engaged in teaching and research in law and in allied disciplines.
- (4) The main seat of the University shall be at New Delhi and it



may establish campuses at such other places as it may deem fit.

Objects of the University. 4. The objects of the University shall be -

- (a) to evolve and impart comprehensive legal education including distant and continuing legal education at all levels to achieve excellence;
- (b) to organize advanced studies and promote research in all branches of law;
- (c) to disseminate legal knowledge and legal processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;
- (d) to promote cultural, legal and ethical values with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India;
- (e) to improve the ability to analyse and present for the benefit of the public contemporary issues of public concern and their legal implications;
- (f) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad;
- (g) to publish periodicals, treatises, study books, reports, journals and other literature on all subjects relating to law;
- (h) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions;
- (i) to promote legal awareness in the community for achieving social and economic justice;
- (j) to undertake study and training projects relating to law, legislation and judicial institutions; and



- (k) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

Power and functions of the University.

5. The powers and functions of the University shall be --

- (a) to administer and manage the University and such centers for study, research, education and instructions as are necessary in furtherance of the objects of the University;
- (b) to provide for instruction in all branches of knowledge or learning pertaining to law and allied subjects as the University may deem fit;
- (c) to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law including through distance learning/continuing education programmes;
- (d) to institute degrees, titles, diplomas, certificates and other distinctions;
- (e) to hold examinations and to confer degrees, titles, diplomas and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such degrees, titles, diplomas and other academic distinctions subject to such conditions as the University may determine;
- (f) to fix, demand and receive fees and other charges as may be prescribed;
- (g) to institute and maintain halls and hostels and to recognize *places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;*



- (h) to establish special centers, specialized study centers or other units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary in furtherance of its objects;
- (i) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of the students and staff of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (j) to make such arrangements in respect of residence, discipline and teaching of women students;
- (k) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (l) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (m) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships, lecturerships and any other teaching, academic or research posts required by the University;
- (n) to appoint persons as professors, associate professors, assistant professors, readers, lecturers or otherwise as teaching and researchers of the University and as other classes of employees;
- (o) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;
- (p) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;
- (q) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;



- (r) to co-operate with any other organizations in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;
- (s) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or otherwise similar to those of the University by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;
- (t) to regulate the expenditure and to manage accounts of the University;
- (u) to establish and maintain within the premises of the University or elsewhere such schools, colleges and study halls as the University may consider necessary and adequately furnish the same to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the University;
- (v) to receive grants, subventions, subscriptions; donations and gifts for the purpose of the University consistent with the objects for which University is established;
- (w) to purchase, take on lease, or accept as gifts, or otherwise any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct or alter and maintain any such building or works;
- (x) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms and conditions as it may think fit





and proper without prejudice to the interests and activities of the University;

- (y) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- (z) to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University;
- (za) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the University any person as it may deem fit;
- (zb) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University;
- (zc) to enter into any agreement with the Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;
- (zd) to accept grants of money, securities or property of any kind or description on such terms and conditions as may be deemed expedient;
- (ze) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed or debt made;
- (zf) to invest the funds of the University or moneys entrusted



to the University in or upon such securities or deposits and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investments;

(zg) to make such Statutes, Regulations and other instruments as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and its properties and to alter, modify and to rescind them;

(zh) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed pension, insurance, provident fund and gratuity and other schemes as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of the staff of the University and to aid in the establishment and support of associations, institutions, funds and trusts for the benefit of the staff and the students of the University;

(zi) to confer honorary degrees and other distinctions in the manner laid down in the regulations;

(zj) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or to any one or more members of its body or its officers; and

(zk) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any of them.



Teaching in the 6. (1) All teaching in connection with the degrees, diplomas and University. certificates of the University shall be conducted in accordance with

the syllabi prescribed by the Regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the Regulations.

Visitors of the  
University.

7. (1) The Chief Justice of India or his nominee, who shall be senior judge of the Supreme Court, shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor when present shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

Chancellor of the  
University.

8. (1) The Chief Justice shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor, when present and in the absence of the Visitor shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Governing Council.

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.



(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved, the decision of the Chancellor shall be final.

(7) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

9. (1) There shall be a Vice Chancellor of the University who shall be appointed in the manner as provided in section 20.

(2) The term of the Vice-Chancellor shall be for a period of three years or such less period as the Governing Council may decide.

### CHAPTER III

#### Authorities of University

10. The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (a) the Governing Council;
- (b) the Executive Council;
- (c) the Academic Council;
- (d) the Dispute Redressal Committee;
- (e) the Finance Committee; and



(f) such other authorities as may, from time to time, be declared as such by the Statutes.

Governing Council and its term of office. 11. (1) The Governing Council shall be the supreme authority of the University and shall consist of the following persons, namely:-

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice Chancellor;
- (c) two persons from amongst the sitting Judges of the High Court of Delhi, nominated by the Chancellor;
- (d) one person from amongst the former Judges of the High Court of Delhi, nominated by the Chancellor;
- (e) the Chairman, Bar Council of India or his nominee from amongst the members of the Bar Council of India;
- (f) the Chairman, Bar Council of Delhi, or his nominee from amongst the members of the Bar Council of Delhi;
- (g) two pre-eminent persons in the disciplines of Social Sciences and Humanities, nominated by the Chancellor;
- (h) two pre-eminent persons in legal and educational fields, nominated by the Chancellor;
- (i) the Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (j) the Principal Secretary, Finance, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (k) the Secretary, Higher Education, Government of



National Capital Territory of Delhi; and

(1) the Principal Secretary, Law, Justice and Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi.

(2) Where a person has become a member of the Governing Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(3) The term of office of the nominated members of the Governing Council other than the ex-officio members shall be three years.

(4) A member of the Governing Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor or Professor, shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in the University; or if he, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the Governing Council without the leave of the Chancellor.

(5) A member of the Governing Council, other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.

(6) Any vacancy in the Governing Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of



the period of the vacancy, such nomination shall cease to be effective.

Powers, functions and meetings of the Governing Council. 12. (1) The Governing Council shall be the plenary authority of the University and shall formulate and review from time to time the broad policies and programmes of the University and devise measures for the improvement and development of the University and shall also have the following powers and functions, namely :-

(a) to consider and pass the annual report, financial statement and the budget estimates prepared by the Executive Council and to adopt them with or without modification;

(b) to make Statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedures to be followed by the authorities and the officers of the University in the discharge of their functions.

(2) The Governing Council shall meet at least once in a year. An annual meeting of the Governing Council shall be held on a date to be fixed by the Executive Council, unless some other date has been fixed by the Governing Council in respect of any year.

(3) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates shall be presented by the Vice-Chancellor to the Governing Council at its annual meetings.

(4) The meetings of the Governing Council shall be called by the



Chancellor or by the Vice-Chancellor either on his own or at the request of not less than ten members of the Governing Council.

(5) For every meeting of the Governing Council, fifteen days' notice shall be given.

(6) One-half of the members existing on the rolls of the Governing Council shall form the quorum.

(7) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Governing Council, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(8) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(9) If urgent action by the Governing Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Governing Council. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Governing Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Governing Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

Executive Council. 13. (1) The Executive Council shall consist of the following persons, namely: -





- (a) one sitting Judge of the High Court of Delhi, nominated by the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor of the University;
- (c) the Chairman of the Bar Council of India, or his nominee from amongst its members;
- (d) the Chairman, Bar Council of Delhi, or his nominee from amongst its members;
- (e) the Principal Secretary, Finance, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (f) the Secretary, Higher Education, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (g) the Principal Secretary, Law, Justice and Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (h) three Professors of Law outside the University, nominated by the Chancellor;
- (i) two teachers of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, of whom one shall be from among the professors and one from among the associate professors of the University, by rotation for a period of one year.



(2) The nominated Judge or in his absence the Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council.

(3) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(4) The term of office of the nominated members of the Executive Council, other than ex-officio members, shall be three years.

(5) A member of the Executive Council shall cease to be member, if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence, involving moral turpitude. A member other than the Vice-Chancellor or teacher shall also cease to be a member if he accepts a full time appointment in the University, or if he, being a teachers fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Vice-Chancellor.

(6) A member of the Executive Council other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.

(7) Any vacancy in the Executive Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of vacancy, such nomination shall cease to be effective.

Powers, functions and meetings of the Executive Council.

14. (1) The Executive Council shall be the chief executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder; and may make Regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.



(2) The Executive Council shall have the following powers and functions, namely :-

- (a) to recommend the names of three persons to the Chancellor for appointment as Registrar of the University on the recommendations of the selection committee constituted for that purpose by it and headed by the Vice-Chancellor;
- (b) to prepare and present to the Governing Council at its annual meeting –
  - (i) a report on the working of the University;
  - (ii) a statement of accounts; and
  - (iii) budget proposals for the ensuing academic year;
- (c) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
- (d) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities, as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;
- (e) to transfer or accept transfer of any movable or immobile property on behalf of the University;



- (f) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
- (g) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (h) to entertain, adjudicate upon, and if it think fit, to redress any grievances of the officers, teachers students and employees of the University;
- (i) to create teaching, administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Regulations made in this behalf;
- (j) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and traveling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (k) to select a common seal for the University; and
- (l) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary, or imposed on it by or under this Act.

(3) The Executive Council shall meet, at least, once in three months and not less than fifteen days notice shall be given of such meetings.

(4) The meeting of the Executive Council shall be called by the



Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Executive Council.

(5) One-half of the members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting.

(6) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(7) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(8) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the nominated Judge or in his absence the Vice-Chancellor and in the absence of both, a member chosen by the members present.

(9) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.



Academic Council. 15. (1) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman;
- (b) three persons from amongst educationists of repute or men of letters or members of the legal profession or eminent public men, who are not in the service of the University, nominated by the Chancellor;
- (c) a nominee of the Bar Council of India;
- (d) all the Heads of the Departments;
- (e) two members of the teaching staff, one each respectively representing the associate and assistant professors of the University, nominated by the Vice-Chancellor for a period of one year on rotation:

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under category (b).

(2) The term of the members other than *ex-officio* members and those whose term is specified by clause (e) of sub-section (1), shall be three years.



Powers, functions and meetings of the Academic Council shall manage the academic affairs and matters 16. (1) Subject to the provisions of this Act, Statutes and Regulations and overall supervision of the Executive Council, the Academic Council shall manage the academic affairs and matters

Council.

in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to report on any matter referred or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;
- (b) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
- (c) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;
- (d) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
- (e) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;
- (f) to consider proposals submitted by the faculties;
- (g) to lay down policies for admission to the University;
- (h) to recommend recognized diplomas and degrees of other universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the



certificates, diplomas and degrees of the University;

- (i) to fix, subject to any conditions accepted by the Governing Council, the time, mode and conditions of competition for fellowships, scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;
- (j) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal, fixation of their fees, emoluments, traveling and other expenses;
- (k) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
- (l) to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;
- (m) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the Regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
- (n) to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and syllabus at the prescribed courses of study;
- (o) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the Regulations;
- (p) to formulate, from time to time, the desired





standards of legal education to be adhered in drawing up the curriculum/syllabi for being taught in the University; and

(q) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Regulations made there under.

(2) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than two times during an academic year.

(3) One-half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(5) Each member of the Academic Council, including the Chairman of the Academic Council, have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council, or, as the case may be, the member presiding over the meetings, shall in addition, have a casting vote.

(6) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.



(7) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

Dispute Redressal Committee. 17. (1) There shall be a Dispute Redressal Committee to redress the disputes that may arise between the management and staff, management and students, teachers and students and teachers and management, comprising :-

- (a) the Vice Chancellor or his nominee;
- (b) one member of the Executive Council, nominated by the Chancellor;
- (c) one member, nominated by the Chancellor, who is not part of any of the councils or committees of the University and who is a distinguished law academic with at least fifteen years' experience in a similar institution.

(2) The Registrar shall be the Convenor of the Disputes Redressal Committee.

(3) Where the dispute relates to a complaint of sexual harassment, the Dispute Redressal Committee shall be reconstituted by co-opting certain additional members consistent with the law.



(4) The Executive Council, or any smaller body that may be constituted by it for this purpose, shall be the appellate authority;

(5) The rules and regulations governing the functioning of the Dispute Redressal Committee and the appellate authority shall be as framed by the Executive Council.

Finance  
Committee.

18. (1) There shall be a Finance Committee constituted by the Executive Council consisting of the following, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Principal Secretary, Finance, Government of National Capital Territory of Delhi; and
- (c) three other members nominated by the Executive Council from amongst its members of whom one shall be a professor.

(2) The members of the Finance Committee, other than the Vice-Chancellor and professor, shall hold office so long as they continue as members of the Executive Council.

(3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-

- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;
- (b) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;
- (c) to consider the periodical statements of accounts and to



review the finances of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports and to make recommendations to the Executive Council;

- (d) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) The Finance Committee shall meet, at least, thrice in every year. Three members of the Finance Committee shall form the quorum.

(5) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, a member elected at the meeting shall preside. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.

#### CHAPTER IV

##### Officers of the University

Officers of the University. 19. The following shall be the officers of the University:-

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Registrar;
- (c) heads of the Departments;
- (d) such other officer as may be prescribed by the Statutes or Regulations.



The Vice-  
Chancellor.

20. (1) The Vice-Chancellor shall be an academic person and an outstanding scholar in law or an eminent jurist. He shall be a whole time salaried officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Governing Council from out of a panel of not less than three persons recommended (the names being arranged in the alphabetical order) by a selection committee constituted under sub-section (3):

Provided that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations.

(3) The selection committee referred to in sub-section (2) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the Executive Council, one by the Chairman, University Grants Commission and one by the Chancellor from among the retired or serving Judges of the High Court of Delhi. The person nominated by the Chancellor shall be the Convenor of the committee:

Provided that no person who is an employee of the University shall be nominated as the member of the selection committee.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years or such less period as the Governing Council may decide, from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment for further term till he attains the age of seventy years:



Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year as may be specified by him.

(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as prescribed by Regulations.

(6) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate a professor of the University to perform the functions of the Vice-Chancellor until the new Vice-Chancellor assumes his office or until the existing Vice-Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

(7) The Vice-Chancellor shall –

(a) ensure that the provisions of this Act, Statutes and Regulations are duly observed, and he shall have all powers as are necessary for that purpose;

(b) convene the meetings of the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;



- (c) preside over the meetings of the Governing Council in the absence of the Chancellor;
- (d) be the competent authority to appoint the teachers, librarians, fiancé officer and other officers in consultation with the Chancellor on the recommendations of the selection committee appointed by the Executive Council thereof for that purpose in accordance with the guidelines prescribed;
- (e) be the competent authority to take disciplinary action against the above officers in accordance with the procedure prescribed;
- (f) have all powers relating to the maintenance of proper discipline in the University;
- (g) if, in his opinion, any emergency has arisen which requires that immediate action be taken, he shall take such action as he may deem fit and shall report the same for confirmation in the next meeting of the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter.

The Registrar.

21. (1) The Registrar, who shall be an academic person not below the rank of a professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted by the Executive Council and headed by the Vice-Chancellor on such terms and conditions of service as the selection committee may specify subject to the provisions of the Statutes and Regulations.

(2) The Registrar shall, -



- (a) be ex-officio secretary of all the authorities, committees and other bodies of the University and shall also be the Convenor of all the meetings. He shall note and maintain the minutes of the meetings;
- (b) be the principal adjutant of the Vice-Chancellor in all matters pertaining to the administration of the University. The Executive Council may entrust to him special responsibilities and powers;
- (c) have the power to appoint, with the approval of the Vice Chancellor, the non-teaching staff, including employees of last grade service and contingent staff in pursuance of the recommendations of the selection committee, appointed for that purpose, in the prescribed manner. He shall be the competent authority to take disciplinary action against such employees in accordance with such procedure as may be prescribed;
- (d) comply with all direction and orders of the Executive Council and Vice-Chancellor;
- (e) be the custodian of records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge.

Heads of  
Departments.

22. (1) There shall be a head for each department in the University.
- (2) The powers, functions, appointments and conditions of service of the heads of the departments shall be as prescribed by the Regulations.





Other officers and employees.

23. (1) Subject to the Regulations made for the purpose, every officer or employee of the University shall be appointed in accordance with a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or employee concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the Regulations.

Selection committees.

24. The Executive Council shall constitute various selection committees for appointment to the posts of officers and non-teaching staff, including last grade service and contingent staff. The procedure for appointment of members of selection committees and the procedure to be adopted by the committees shall be as may be prescribed by the Regulations.

Statutes and Regulations.

25. (1) The first Statutes of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Governing Council at its first meeting, which may adopt them with or without modifications. Subsequent Statutes or modifications in the Statutes shall be made by the Governing Council.



(2) The first Regulations of the University shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor. They shall be placed before the Executive Council at its first meeting which may adopt them with or without modifications. Subsequent Regulations or modification in the Regulations shall be made by the Executive Council.

Appointment of  
first Vice-  
Chancellor and  
first Registrar.

26. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes, the first Vice-Chancellor who shall be an academic person in law or an eminent jurist, shall be appointed by the Chancellor and shall hold office of the Vice-Chancellor for a period of three years or till a regular Vice-Chancellor is appointed, whichever is earlier. The first Registrar who shall be an academic person in law shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor. The said officer shall hold office for a period of three years or till a regular Registrar is appointed, whichever is earlier.

Honorary degrees.

27. If not less than two-thirds of the members of the Academic Council recommend that a honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Governing Council may, by a resolution, decide that the same be conferred on the person recommended.



Withdrawal of  
degree or diploma.

28. (1) The Governing Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the total membership of the Governing Council and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Governing Council present and voting, at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which in the opinion of the Governing Council, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the Governing Council shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Governing Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.



Discipline.

29. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. His directions in that behalf shall be carried out by the heads of departments, hostels and institutions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the punishment of debarring a student from an examination, or rustication from the University, or a hostel or an institution shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

Deemed validity of appointments.

30. Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the Statutes and Regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.

Vacancy, etc., not to invalidate any act or proceeding.

31. No act or proceeding of the Governing Council, the Executive Council or any other authority or officer or body of the University shall be invalidated or questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Indemnity against general

32. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the University or any authority or officer or employee



proceedings.

of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, or the Statutes or Regulations or rules made there under.

Overriding effects.

33. The provisions of this Act and the Rules, Statutes and Regulations made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained therewith in any other law or instrument having the force of law for the time being in force.

Power to remove difficulties.

34. If any difficulty arises as to the first constitution or reconstitution of any authority of the University after the commencement of this Act or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the Chancellor may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to him to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of five years from the date of the commencement of this Act.

Sponsored Schemes.

35. Whenever the University receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act or the regulations -

- (a) the amount received shall be kept by the University separately from the University



Fund and utilized only for the purpose of the scheme; and

- (b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization."



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rakesh Syal". The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

**(Rakesh Syal)**  
**Joint Secretary(Law, Justice & L.A.)**

दिल्ली राजपत्र के भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।

संख्या फा० 14(7)/एल०ए०-2007/एलजे/०८/६४३

दिनांक जनवरी, 2008

अधिसूचना

संख्या फा० 14(7)/एल०ए०-2007/- उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 16 जनवरी, 2008 को  
मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम  
जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

“दिल्ली राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007  
(2008 का दिल्ली अधिनियम 1)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 को यथा पारित )

(16 जनवरी, 2008)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना  
तथा उससे संबंधित एवं आनुवंशिक मामलों के लिए अधिनियम।

जबकि विधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (1993) पर मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन द्वारा नियुक्त समिति ने  
बंगलोर स्थित राष्ट्रीय विधि स्कूल भारत विश्वविद्यालय के समान प्रत्येक राज्य में एक संस्थान स्थापित करने की  
सिफारिश की;

और, जबकि अखिल भारतीय विधि मंत्रियों के सम्मेलन (1995) ने व्यावसायिक विधिक शिक्षा में सुधार  
लाने के लिये राष्ट्रीय विधिक स्कूल भारत विश्वविद्यालय बंगलोर के समान प्रत्येक राज्य में एक विधि विद्यालय  
की स्थापना का संकल्प लिया;

और, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के  
उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा गया;

और, जबकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली उच्च  
न्यायालय ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मिलकर समन्वित परिसर के विकास की संपूर्ण परियोजना तथा दिल्ली  
में दिल्ली राष्ट्रीय विधि स्कूल खोलने की कार्यवाही प्रारंभ की;

और, जबकि यहां बाद में उल्लिखित उद्देश्य के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना करना आवश्यक प्रतीत  
होता है।

इस भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार  
अधिनियमित किया जाये :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ।	1.	(1) इस अधिनियम को दिल्ली राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 कहा जाये। (2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से लागू होगा।
परिभाषाएं।	2.	इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (1) 'शैक्षणिक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद्;

	<p>(2) "बार काउंसिल" का अर्थ है एडवोकेट अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित दिल्ली बार काउंसिल;</p> <p>(3) "भारतीय बार काउंसिल" का अर्थ है एडवोकेट अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल;</p> <p>(4) "कुलाधिपति" का अर्थ है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;</p> <p>(5) "मुख्य न्यायाधीश" का अर्थ है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निष्पादन करने वाले मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है;</p> <p>(6) "कार्यकारी परिषद्" का अर्थ है विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्;</p> <p>(7) "वित्त समिति" का अर्थ है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;</p> <p>(8) "शासी परिषद्" का अर्थ है विश्वविद्यालय की शासी परिषद्;</p> <p>(9) "सरकार" का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं संविधान के अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत यथा पदनामित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल ;</p> <p>(10) "कुलसचिव" का अर्थ है विश्वविद्यालय का कुलसचिव;</p> <p>(11) "विनियम" तथा "संविधि" का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन निर्मित क्रमशः विनियम तथा संविधियां;</p> <p>(12) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय;</p> <p>(13) "कुलपति" का अर्थ है विश्वविद्यालय का कुलपति।</p>
--	--



अध्याय-2

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना।	3.	<p>(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "दिल्ली राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय का एक निगमित निकाय होगा जिसका शास्वत उत्तराधिकार तथा शक्ति सहित सामान्य मुहर होगी जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत इसके नाम द्वारा मुकदमा चलाने या चलवाने के लिए प्रयुक्त की जायेगी।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय विधि में शिक्षण एवं अनुसंधान तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में संलिप्त होगा।</p> <p>(4) विश्वविद्यालय का मुख्य स्थान नई दिल्ली में होगा तथा जैसे यह आवश्यक समझे अन्य स्थानों में अपने कैम्पस स्थापित कर सकता है।</p>
विश्वविद्यालय का उद्देश्य।	4.	<p>विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-</p> <p>(क) उत्कृष्टता हासिल करने के लिये समस्त स्तरों पर दूरस्थ तथा सतत विधि शिक्षा सहित व्यापक विधि शिक्षा तैयार करना तथा प्रदान करना;</p> <p>(ख) विधि की समस्त शाखाओं में उन्नत अध्ययन आयोजित करना तथा अनुसंधान को बढ़ाना;</p> <p>(ग) व्याख्यान, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशालाएं तथा सम्मेलन आयोजित करके राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका तथा विधि जानकारी एवं विधि पद्धति का प्रचार;</p> <p>(घ) भारतीय संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों तथा विधि के नियमों को बढ़ाने की दृष्टि से सांस्कृतिक, विधिक एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ाना;</p> <p>(ङ) विश्लेषण की सक्षमता में सुधार तथा सार्वजनिक महत्व के सार्वजनिक समकालीन मामलों के लाभ एवं उनके विधिक व्यवस्थाओं के लिये प्रस्तुतीकरण;</p> <p>(च) भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करना;</p> <p>(छ) विधि से संबंधित समस्त विषयों पर नियतकालिक पत्रिकाएं, शोध - प्रबन्ध, अध्ययन पुस्तकें, रिपोर्ट्स, जर्नलस एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन करना;</p> <p>(ज) परीक्षा आयोजित करना तथा डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान करना;</p> <p>(झ) सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिये समाज में विधिक जानकारी बढ़ाना;</p> <p>(ञ) विधि, विधान एवं न्यायिक संस्थानों से संबंधित प्रशिक्षण परियोजनाएं तथा अध्ययन</p>

		<p>शुरू करना;</p> <p>(ट) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या प्रेरक हों।</p>
विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कार्य।	5.	<p>विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होंगे –</p> <p>(क) विश्वविद्यालय तथा अध्ययन, अनुसंधान, शिक्षा एवं निदेशों के लिए ऐसे केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन जो विश्वविद्यालय के आगामी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों;</p> <p>(ख) विधि एवं संबद्ध विषयों से संबंधित जानकारी अथवा शिक्षण की समस्त विधाओं में निदेशों की व्यवस्था करना, जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;</p> <p>(ग) दूरस्थ शिक्षण/अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों सहित विधि की जानकारी के प्रचार, प्रसार एवं उसे अद्यतन बनाने एवं अनुसंधान के लिए व्यवस्था करना;</p> <p>(घ) डिग्री, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य उत्कृष्टताएं प्रदान करना;</p> <p>(ङ) परीक्षा आयोजित करना तथा डिग्री उपाधि, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना जो विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसी डिग्री, उपाधि, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशेषताएं वापस लेना;</p> <p>(च) शुल्क तथा अन्य यथानिर्धारित प्रभार निश्चित करना, माँग करना तथा प्राप्त करना;</p> <p>(छ) हॉल तथा छात्रावास तैयार करना, उनका रखरखाव करना तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आवास स्थलों को मान्यता देना तथा आवास के ऐसे स्थलों को दी गई मान्यता वापस लेना;</p> <p>(ज) विशेष केन्द्रों, विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों या अनुसंधान एवं अनुदेशों के लिए अन्य इकाईयों की स्थापना जो कि इसके आगामी उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय के विचार से आवश्यक हों;</p> <p>(झ) निवास का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं आम कल्याण को बढ़ाने के प्रबंध करना;</p> <p>(ञ) आवास अनुशासन एवं छात्राओं के शिक्षण के संबंध में प्रबंध करना;</p> <p>(ट) नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक लिपिकीय एवं अन्य पदों का सृजन करना;</p> <p>(ठ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना तथा लागू करना तथा यथावश्यक अनुशासनात्मक उपाय करना;</p>

	<p>(ड) प्रोफेसरशिप, सहयोगी प्रोफेसरशिप, सहायक प्रोफेसरशिप, रीडरशिप, लैक्चररशिप तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य शिक्षण, शैक्षणिक अथवा अनुसंधान पद प्रारंभ करना;</p> <p>(ढ) प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सहयोगी प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं अनुसंधान के रूप में अन्य किन्हीं व्यक्तियों तथा कर्मचारियों के किसी अन्य वर्गों की नियुक्ति;</p> <p>(ण) फ़ैलोशिप, स्कॉलरशिप, पुरस्कार एवं मैडल्स प्रारंभ करना तथा प्रदान करना;</p> <p>(त) प्रिंटिंग, पुनः प्रस्तुतीकरण तथा अनुसंधान एवं अन्य कार्यों के प्रकाशन की व्यवस्था करना तथा प्रदर्शनी आयोजित करना;</p> <p>(थ) विधि, न्याय एवं सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित एवं प्रारंभ करना;</p> <p>(द) विश्वविद्यालय समय-समय पर जैसा उचित समझे उन शर्तों पर समस्त उद्देश्यों के लिए विधि, न्याय, सामाजिक विकास एवं संबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना;</p> <p>(ध) विश्व के किसी भी भाग में उच्च शिक्षण के संस्थानों के साथ सहयोग करना, जो पूर्ण या अन्यथा रूप से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हो, जो कि शिक्षकों एवं स्कॉलर्स के विनिमय द्वारा हो तथा सामान्यतः इस पद्धति से हो जो सामान्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो;</p> <p>(न) व्यय को विनियमित करना तथा विश्वविद्यालय के लेखों का प्रबंध करना;</p> <p>(प) विश्वविद्यालय के परिसरों में या अन्य कहीं ऐसे स्कूल, कॉलेज तथा अध्ययन हॉल स्थापित करना एवं उनका रखरखाव करना, जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे तथा ऐसे पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना एवं रखरखाव जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक अथवा आवश्यक प्रतीत होते हो;</p> <p>(फ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए अनुदान, परिदान अंशदान, दान तथा उपहार, प्राप्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप हो जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है;</p> <p>(ब) कोई भूमि अथवा भवन या संकर्म खरीदना, पट्टे पर लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना एवं अन्यथा जो कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक एवं सुविधाजनक हो तथा उन शर्तों के अनुसार हो जिसे वह उचित समझे तथा किसी भवन अथवा संकर्म को निर्मित करने या उसमें परिवर्तन करने अथवा बनाए रखने के लिए आवश्यक हो;</p> <p>(भ) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल संपत्तियों के किसी अथवा समस्त भाग को बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना अथवा अन्यथा निपटान करना जो ऐसी शर्तों पर</p>
--	---

	<p>हो जिसे विश्वविद्यालय के हितों एवं गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित समझा जाए।</p> <p>(म) भारत सरकार तथा अन्य वचन-पत्रों, हुंडी, बैंक या अन्य परक्राम्य दस्तावेजों का आहरण तथा स्वीकार करना, तैयार करना, पृष्ठांकन करना, डिस्काउंट करना तथा परक्राम्य करना;</p> <p>(य) चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं अथवा विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए अर्जित की जानी हैं, के संबंध में कन्वेंश, अन्तरण, रीकॉनवेन्स, बंधक, पट्टा, लाइसेंस एवं प्रबंधों को निष्पादित करना;</p> <p>(र) विश्वविद्यालय के किसी कार्य से संबंधित दस्तावेज के लेन-देन को निष्पादित करने के उद्देश्य से जैसा आवश्यक समझा जाए व्यक्ति की नियुक्ति;</p> <p>(ल) विश्वविद्यालय के विभागों अथवा किसी कक्षा को छोड़ देना तथा बन्द करना;</p> <p>(व) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य प्राधिकरणों के साथ करार करना;</p> <p>(स) यथा समुचित शर्तों पर किसी भी किस्म की संपत्ति या प्रतिभूतियां, धनराशि का अनुदान स्वीकार करना;</p> <p>(ह) बंध-पत्रों, बंधकों, वचन-पत्रों अथवा अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों के आधार पर या समस्त या किन्हीं संपत्तियों पर धनराशि उधार लेना तथा उगाहना तथा ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे तथा विश्वविद्यालय की समस्त निधियों समस्त खर्चों जो धनराशि वसूलने से संबंधित हो, का भुगतान करना तथा उधार ली गई अथवा लिए गए ऋण की राशि पर पुर्नभुगतान करना तथा उसे छोड़ना;</p> <p>(हक) विश्वविद्यालय की निधियों अथवा विश्वविद्यालय को सौंपी गई धनराशि में अथवा ऐसी प्रतिभूतियों अथवा निधियों में निवेश करना जो कि किन्हीं निवेशों पर समय-समय पर यथा आवश्यक पद्धति से लगाई गई हो;</p> <p>(हख) ऐसी संविधि, विनियम तथा अन्य दस्तावेज तैयार करना जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के कार्यों एवं प्रबंधन को विनियमित करने के लिए तथा इसकी संपत्तियों को परिवर्तित करने, आशोधन करने एवं निरस्त करने के लिए आवश्यक समझे गए हों;</p> <p>(हग) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य स्टाफ के लाभार्थ ऐसे ढंग से तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित हों पेंशन, बीमा भविष्य-निधि एवं उपदान और अन्य योजनाओं का संघटन करना जिन्हें यह उपयुक्त समझे और ऐसे अनुदान प्रदान करना जो विश्वविद्यालय के स्टाफ के हित में हो और विश्वविद्यालय के स्टाफ एवं छात्रों के फायदे के लिए संघों, संस्थाओं निधियों, न्यासों की संस्थापना और प्रोत्साहन के लिए सहायता देना ;</p> <p>(हघ) विनियमों में निर्धारित पद्धति से सम्मानजनक डिग्री तथा अन्य विशेषताएं प्रदान करना;</p> <p>(हड) कुलपति या किसी समिति अथवा इसकी निकाय के एक या अनेक सदस्यों अथवा इसके अधिकारियों को अपनी समस्त या कोई शक्ति प्रदान करना; तथा</p> <p>(हच) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय की समस्त एवं किन्हीं शक्तियों के</p>
--	--

		प्रयोग हेतु आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो या विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या प्रेरक हो।
विश्वविद्यालय में शिक्षण।	6.	(1) डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के संबंध में शिक्षण निर्धारित विनियमों के अनुसार किया जाएगा; (2) ऐसे पाठ्यक्रमों के शिक्षण के आयोजन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम विनियमों द्वारा यथानिर्धारित होगा।
विश्वविद्यालय का विजिटर।	7.	(1) भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके नामित जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश हो, विश्वविद्यालय का विजिटर होगा। (2) जब विजिटर उपस्थित होगा, तब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा षासी परिशद की अध्यक्षता करेगा।
विश्वविद्यालय का कुलाधिपति।	8.	(1) मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, (2) कुलाधिपति यदि उपस्थित हो तथा विजिटर की अनुपस्थिति में करते समय विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा षासी परिशद की अध्यक्षता करेगा; (3) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जैसा वह निदेश दे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी संस्था, उनके भवनों, पुस्तकालयों एवं उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा, शिक्षण एवं किए जाने वाले अन्य कार्यों की जाँच करवाने का अधिकार होगा तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित मामलों में उसी पद्धति से जाँच करवाने का अधिकार होगा, (4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह का प्रस्ताव भी कर सकता है जोकि वह निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में उचित समझे। (5) विश्वविद्यालय कुलाधिपति को की गई कार्रवाई या ऐसी सलाह पर प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देगा। (6) यदि किसी मुद्दे पर विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अधिकारियों के बीच कोई मतभेद है जिसका हल न निकल रहा हो, तो कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा। (7) जब कभी भी आवश्यकता हो विश्वविद्यालय के मामलों में विश्वविद्यालय को कानूनी शिक्षा की सलाह हेतु कुलाधिपति व्यक्ति या कानून में श्रेष्ठता प्राप्त व्यक्ति को बुला सकता है।
विश्वविद्यालय का कुलपति।	9.	(1) विश्वविद्यालय के एक कुलाधिपति होगा जोकि धारा 20 के प्रावधान के तहत नियुक्त होगा।

		(2) कुलपति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा या शासी परिषद् जिस अवधि का निर्धारण करें ।
अध्याय-3 विश्वविद्यालय प्राधिकार		
विश्वविद्यालय प्राधिकार ।	10.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात् :- (क) शासी परिषद्, (ख) कार्यकारी परिषद् (ग) शैक्षिक परिषद् (घ) विवाद निपटान समिति (ङ) वित्त समिति, तथा (च) कानून द्वारा समय समय पर घोषित अन्य प्राधिकार
शासी परिषद् तथा उसकी कार्य अवधि ।	11.	(1) शासी परिषद् विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकार होगी और उसमें मुख्यतः निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :- (क) कुलाधिपति; (ख) कुलपति; (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायधीशों में से दो व्यक्ति, कुलाधिपति द्वारा नामित ; (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीशों में से एक व्यक्ति, कुलाधिपति द्वारा नामित; (ङ) अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों में से उसके नामित व्यक्ति; (च) अध्यक्ष दिल्ली विधिज्ञ परिषद् या दिल्ली विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों में से उसके नामित व्यक्ति; (छ) कुलाधिपति द्वारा नामित समाजिक विज्ञान एवं मानविकी के विशय के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति; (ज) कानून एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित दो व्यक्ति, कुलाधिपति द्वारा नामित; (झ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव; (ञ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त के प्रमुख सचिव; (ट) सचिव, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली; और (ठ) प्रमुख सचिव, न्याय, कानून एवं कानूनी मामले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।  (2) कार्यालय या नियुक्ति के कारण जब कोई व्यक्ति शासी परिषद् का सदस्य बनता है तो उसके द्वारा कार्यालय या नियुक्ति के छोड़ने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।  (3) पदेन सदस्यों के अलावा शासी परिषद् के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा ।  (4) शासी परिषद् के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि वह त्याग पत्र देता

	<p>है या वह पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या कोई आपराधिक कार्य करता है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार शामिल हो। कुलपति या प्रोफेसर के अलावा कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक नियुक्ति स्वीकार करता है या वह पदेन सदस्य न हो, तथा कुलाधिपति की छुट्टी के बिना शासी परिषद् की तीन निरंतर बैठकों में अनुपस्थित रहा हो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।</p> <p>(5) पदेन सदस्य के अलावा शासी परिषद् का सदस्य कुलाधिपति को पत्र संबोधित कर अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे सकता है और उनके द्वारा स्वीकार करते ही त्यागपत्र प्रभावी होगा।</p> <p>(6) शासी परिषद् में कोई भी रिक्ति संबंधित नामित प्राधिकार द्वारा नामांकन से भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर ऐसे नामांकन का प्रभाव समाप्त हो जायेगा।</p>
<p>शासी परिषद् की शक्तियां, कार्यप्रणाली तथा बैठकें।</p>	<p>12. (1) शासी परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकार होगा और समय समय पर विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों को बनायेगा और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय में सुधार और विकास के उपाय निकालेगा तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां एवं प्रक्रियाएं भी होंगी :-</p> <p>(क) कार्यकारी परिषद् द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण तथा बजट प्राक्कलन पर विचार तथा उसे पास करना तथा उसमें कोई परिवर्तन किये बिना उसे अपनाना;</p> <p>(ख) प्राधिकार तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा अपनी कार्य प्रणाली के अनुसरण में निर्धारित प्रक्रिया सहित विश्वविद्यालय के मामलों को प्रशासनिक कानून संबंधी बनाना।</p> <p>(2) शासी परिषद् वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगी। कार्यकारी परिषद् द्वारा नियत तिथि पर कार्यकारी परिषद् की वार्षिक बैठक होनी चाहिये अन्यथा किसी भी वर्ष के लिये शासी परिषद् द्वारा कोई अन्य तिथि नियत की जायेगी।</p> <p>(3) प्राप्ति एवं व्यय का विवरण, लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा वित्तीय प्राक्कलन सहित गत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की रिपोर्ट कुलपति द्वारा शासी परिषद् की वार्षिक बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>(4) शासी परिषद् की बैठकें कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा स्वयं के अनुरोध या शासी परिषद् के कम से कम 10 सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जायेंगी।</p> <p>(5) शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिये पन्द्रह दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिये।</p> <p>(6) शासी परिषद् में वर्तमान में कार्यरत सदस्यों में से आधे कोरम को पूरा कर सकते हैं।</p>

	<p>(7) प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि शासी परिषद के समक्ष निर्णय हेतु किसी प्रश्न पर वोटों की समानता होती है तो बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा ।</p> <p>(8) सदस्यों के बीच विचार में भिन्नता की स्थिति में, बहुमत के विचार पर सहमति होगी ।</p> <p>(9) यदि शासी परिषद द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है तो कुलपति शासी परिषद के सदस्यों को पेपर परिचालित कर कार्य संचालन की अनुमति दे सकता है । कार्रवाई इस प्रकार प्रस्तावित की जायेगी जिसपर शासी परिषद के ज्यादातर सदस्य सहमत हों । की गई कार्रवाई से शासी परिषद के सभी सदस्यों को तुरन्त सूचित किया जायेगा । यदि किसी स्थिति में संबंधित प्राधिकारी निर्णय करने में असफल रहता है तो मामले को कुलाधिपति को भेजा जायेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा ।</p>
कार्यकारी परिषद ।	<p>13. (1) कार्यकारी परिषद में मुख्यतः निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:-</p> <p>(क) दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायधीश, कुलाधिपति द्वारा नामित;</p> <p>(ख) विश्वविद्यालय के कुलपति;</p> <p>(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष, या इसके सदस्यों में से उसके द्वारा नामित;</p> <p>(घ) दिल्ली विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष या इसके सदस्यों में से उसके द्वारा नामित;</p> <p>(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख वित्त सचिव;</p> <p>(च) सचिव, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;</p> <p>(छ) प्रधान सचिव, कानून, न्याय एवं विधिक मामले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;</p> <p>(ज) विश्वविद्यालय के अलावा कानून के तीन प्रोफेसर कुलाधिपति द्वारा नामित;</p> <p>(झ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक, जिसमें से एक प्रोफेसरों में से होगा और एक विश्वविद्यालय के सह प्रोफेसर में से होंगे, एक वर्ष की अवधि के लिये कमावर्तन द्वारा ।</p> <p>(2) नामित न्यायधीश या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति कार्य परिषद के अध्यक्ष होंगे ।</p> <p>(3) जब कोई व्यक्ति जोकि कार्यकारी परिषद का सदस्य है और उस कार्यालय या नियुक्ति को निरंतर नहीं रखता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।</p> <p>(4) पदेन सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद के नामित सदस्य के कार्यकाल की</p>



		<p>अवधि तीन वर्ष की होगी ।</p> <p>(5) कार्यकारी परिषद् के सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जायेगी यदि वह त्याग-पत्र दे या पागल हो जाये या दिवालिया हो जाये या कोई आपराधिक कार्य करे जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार शामिल हो । कुलपति या शिक्षक के अलावा किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह शिक्षक के रूप में कुलपति से छुट्टी लिये बिना कार्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हुआ हो ।</p> <p>(6) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारी परिषद् का सदस्य कुलपति को पत्र संबोधित कर कार्यालय से त्याग-पत्र दे सकता है और उनके द्वारा स्वीकार करते ही यह प्रभावी होगा ।</p> <p>(7) कार्यकारी परिषद् में किसी रिक्ति को संबंधित नामित प्राधिकार द्वारा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर नामांकन द्वारा भरा जायेगा, ऐसे नामांकन का प्रभाव समाप्त हो जायेगा ।</p>
<p>कार्यकारी परिषद् की शक्तियां, कार्यप्रणाली और बैठकें ।</p>	<p>14</p>	<p>(1) कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी कार्य प्राधिकार होगा तथा उस रूप में उसे वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये संविधि के अनुसार विश्वविद्यालय संचालन के लिये आवश्यक हैं और उस उद्देश्य के लिये तथा आगे दिए गए प्रावधानों के लिये भी विनियम बना सकता है ।</p> <p>(2) कार्यकारी परिषद् की मुख्यतः निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य प्रणाली होगी :-</p> <p>(क) इसके तथा प्रधान कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिये गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के लिये कुलाधिपति को तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करना;</p> <p>(ख) शासी परिषद् को तैयार कर इसकी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना:-</p> <p>(i) विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर एक रिपोर्ट,</p> <p>(ii) लेखा का विवरण, तथा</p> <p>(iii) आगामी शैक्षिक वर्ष के लिये बजट प्रस्ताव ।</p> <p>(ग) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, व्यवसाय तथा अन्य सभी प्रशासनिक मामलों को व्यवस्थित व नियंत्रित करने तथा इस उद्देश्य के लिये समिति गठित करना तथा विश्वविद्यालय को ऐसी समितियों या अधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त करना जोकि उसके लिये उपयुक्त हों,</p> <p>(घ) समय सम पर जैसा उचित हो कोई गैर आवेदित आय स्टॉक, फंड, शेयर या सिन्क्यूरिटी सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का निवेश या भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद तथा समय समय पर ऐसे निवेशों की शक्तियों का प्रयोग;</p> <p>(ङ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का स्थानांतरण या स्वीकृत स्थानांतरण;</p>

	<p>(च) विश्वविद्यालय की ओर से ठेका को परिवर्तित, कार्यान्वित तथा रद्द करने एवं ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के उद्देश्य के लिये कार्रवाई करना;</p> <p>(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को जारी रखने के लिये भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपस्करों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना;</p> <p>(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की शिकायतों का यदि उचित हो तो न्यायपूर्ण तरीके से निपटान करना;</p> <p>(झ) शिक्षण, प्रशासनिक, अनुसंधानीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की परिलब्धियां एवं संख्या निर्धारित करना तथा इसके लिये बनाये विनियमों द्वारा निर्धारित सेवा की निबंधन एवं शर्तों पर ऐसे पदों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता निर्दिष्ट करना;</p> <p>(ञ) परीक्षक एवं संचालक नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और शैक्षिक परिषद् से विचार के उपरांत उनकी फीस, परिलब्धियां, यात्रा एवं अन्य भत्ते नियत करना;</p> <p>(ट) विश्वविद्यालय के लिये कॉमन सील का चयन; तथा</p> <p>(ठ) कुछ अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग और अपेक्षा अनुसार आवश्यक ड्यूटी का निष्पादन या इस पर लागू करना या इस अधिनियम के अंतर्गत ।</p> <p>(3) कार्यकारी परिषद् तीन माह में कम से कम एक बैठक करेगी और ऐसी बैठकों की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी।</p> <p>(4) कार्यकारी परिषद् की बैठक कुलपति के अनुदेश के तहत कुलसचिव द्वारा या कार्यकारी परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है ।</p> <p>(5) कार्यकारी परिषद् के आधे सदस्य किसी भी बैठक का कोरम पूरा कर सकते हैं ।</p> <p>(6) सदस्यों के बीच विचार पर भिन्नता की स्थिति में बहुमत के विचार पर सहमति होगी ।</p> <p>(7) कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि कार्यकारी परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु किसी प्रश्न पर वोटों की समानता है कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष या तब कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष अथवा उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।</p> <p>(8) कार्यकारी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता मनोनीत न्यायधीश द्वारा की जायेगी या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में वर्तमान सदस्यों द्वारा चयनित एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जायेगी ।</p>
--	--

		(9) यदि कार्यकारी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है तो कुलपति कार्यकारी परिषद् के सदस्यों को कागजात परिपत्रित कर के कार्य संचालन की अनुमति दे सकते हैं। प्रस्तावित कार्रवाई तब तक न की जायेगी जब तक कि कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो। की गई कार्रवाई की सूचना बाद में कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्यों को भी दी जायेगी। यदि संबंधित प्राधिकार निर्णय लने में असफल रहता है तो मामले को कुलाधिपति के पास भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
शैक्षिक परिषद्।	15.	(1) शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-  (क) कुलपति जो सभापति होंगे;  (ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् या विद्वानों, विधिक व्यवसाय के सदस्यों या प्रतिष्ठित जनसाधारण व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, कुलाधिपति द्वारा नामांकित  (ग) भारतीय बार परिषद् का एक प्रतिनिधि;  (घ) सभी विभागाध्यक्ष;  (ङ) अध्यापन स्टाफ के दो सदस्य विश्वविद्यालय के सहयोगी (एसोसिएट) एवं सहायक प्राध्यापक/प्रोफेसर का क्रमशः प्रतिनिधित्व करने वाले एक-एक, कुलपति द्वारा बारी-बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए नामांकित;
		शर्त यह है कि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी श्रेणी(ख) के अन्तर्गत नामांकन के लिये योग्य नहीं होगा;
		(2) पदेन सदस्यों एवं उपधारा (1) के खंड (ङ) द्वारा जिन का कार्यकाल विनिर्दिष्ट है, को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
शैक्षिक परिषद् की शक्तियां, कर्तव्य तथा बैठकें।	16.	(1) इस अधिनियम, संविधियां तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन तथा कार्यकारी परिषद् की समूची देखरेख में शैक्षिक परिषद् विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यों तथा विषयों की व्यवस्था करेगी तथा विशेषतः उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-  (क) शासी परिषद् या कार्यकारी परिषद् द्वारा उसे भेजे या सौंपे गये किसी विषय पर रिपोर्ट देना;  (ख) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पद के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण तथा देय परिलब्धियों तथा इससे सम्बद्ध कर्तव्य के संबंध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना;  (ग) संकायों के गठन के लिये योजनाएं बनाना, आशोधित या संशोधित करना, तथा ऐसे संकायों को उनके सम्बद्ध विषय सौंपना तथा किसी संकाय को समाप्त करने या

	<p>उपविभाजन की या किसी एक संकाय को अन्य संकाय के साथ मिलाने की आवश्यकता संबंधी कार्यकारी परिषद् को सूचित करना;</p> <p>(घ) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के प्रबंधों की सिफारिश करना;</p> <p>(ङ) विश्वविद्यालय के भीतर शोध को बढ़ावा देना और समय-समय पर ऐसी शोध पर रिपोर्ट माँगना;</p> <p>(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;</p> <p>(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये नीतियां निर्धारित करना;</p> <p>(ज) अन्य विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं के डिप्लोमा तथा डिग्रियों को मान्यता देने की सिफारिश करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं डिग्रियों के संदर्भ में उनकी समानता निश्चित करना;</p> <p>(झ) शासी परिषद् द्वारा स्वीकार की गई किसी शर्त के अधीन छात्रवृत्तियों, फ़ैलोशिप की प्रतियोगिताओं का समय, पद्धति तथा शर्त और अन्य पुरस्कार निश्चित करना तथा उसके पुरस्कार के लिये सिफारिश करना;</p> <p>(ञ) परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना तथा यदि आवश्यक हो उन्हें हटाने, उनका शुल्क, परिलब्धियां निश्चित करना;</p> <p>(ट) परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था तथा इन्हें आयोजित करने की तिथियों की सिफारिश करना;</p> <p>(ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा तथा समीक्षा करना या उनके लिए समितियाँ या अधिकारी नियुक्त करना तथा उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, पद अथवा सम्मान चिह्न प्रदान या भेंट करने संबंधी सिफारिशें करना;</p> <p>(ड) वृत्ति, छात्रवृत्ति, मैडल अथवा पुरस्कारों की सिफारिश करना तथा विनियमों के अनुसार अन्य अवार्ड की सिफारिश करना तथा अवार्डों से संबंधित अन्य शर्तों की सिफारिश करना;</p> <p>(ढ) निर्धारित या संस्तुत पाठ्य पुस्तकों की सूची अनुमोदित या संशोधित करना और उनके अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सिलेबस का प्रकाशन करना;</p> <p>(ण) विनियमों के अंतर्गत समय-समय पर अपेक्षित फार्मों तथा रजिस्ट्रों का अनुमोदन करना;</p> <p>(त) समय-समय पर विधि शिक्षा के वांछित मानक तैयार करना तथा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करना;</p>
--	---

	<p>(थ) विधि शिक्षा विषयों से संबंधित सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना तथा इस अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों को समूचित रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।</p> <p>(2) शैक्षिक परिषद् जब भी आवश्यक होगा अपनी बैठकें बुलाएगी परन्तु ये बैठकें एक शैक्षिक वर्ष में दो बार से कम नहीं होंगी।</p> <p>(3) शैक्षिक परिषद् के वर्तमान आधे सदस्यों से शैक्षिक परिषद् की बैठकों का कोरम बनेगा।</p> <p>(4) सदस्यों में मत विभिन्नता की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा।</p> <p>(5) शैक्षिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य, जिनमें शैक्षिक परिषद् का अध्यक्ष भी शामिल है, को एक मत का अधिकार होगा और यदि शैक्षिक परिषद् द्वारा किसी प्रश्न के सुनिश्चयन में मतों की संख्या बराबर-बराबर रहती है तो शैक्षिक परिषद् के अध्यक्ष या, जैसी भी स्थिति हो, उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।</p> <p>(6) शैक्षिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर अध्यक्षता चुने सदस्य द्वारा की जायेगी।</p> <p>(7) यदि शैक्षिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी आवश्यक हो जाती है तो शैक्षिक परिषद् का अध्यक्ष शैक्षिक परिषद् के सदस्यों को दस्तावेजों के परिचालन द्वारा कार्य संपादन की अनुमति दे सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही पर जब तक शैक्षिक परिषद् के बहुमत सदस्यों की सहमति नहीं होती तब तक प्रस्तावित कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसके अनुसरण में की गई कार्यवाही से शैक्षिक परिषद् के सभी सदस्यों को अवगत कराया जायेगा। यदि संबंधित अधिकारी निर्णय लेने में असमर्थ रहता है तो विषय को कुलाधिपति को भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।</p>
<p>विवाद निवारण समिति ]</p>	<p>17. (1) प्रबंधक तथा स्टाफ के बीच, अध्यापकों तथा प्रबंधन के बीच, प्रबन्धक तथा छात्र, छात्र तथा अध्यापकों के बीच हो सकने वाले विवादों के निवारण के लिए एक विवाद निवारण समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-</p> <p>(क) कुलपति या उसका प्रतिनिधि;</p> <p>(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य;</p> <p>(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य जो विश्वविद्यालय की किसी परिषद् या समिति का भाग नहीं है और जो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है और उसके पास किसी इस प्रकार की संस्था का कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव है।</p> <p>(2) कुलसचिव विवाद निवारण समिति के संयोजक होंगे।</p>

		<p>(3) जहां यौन शोषण की शिकायत से संबंधित कोई विवाद है तो विवाद निवारण समिति कुछ अतिरिक्त सदस्यों को लेकर विधि संगत पुर्नगठित की जाएगी।</p> <p>(4) कार्यकारी परिषद् या उसके द्वारा गठित कोई लघु निकाय जो इस प्रयोजन के लिए गठित किया जायेगा वह अपीलीय प्राधिकरण होगा।</p> <p>(5) विवाद निवारण समिति तथा अपीलीय प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को नियन्त्रित करने वाले नियम तथा विनियम कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाए गये के समान होंगे।</p>
वित्त समिति	18.	<p>(1) कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित वित्त समिति होंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <p>(क) कुलपति</p> <p>(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख वित्त सचिव;</p> <p>(ग) कार्यकारी परिषद् द्वारा मनोनीत तीन अन्य सदस्य, जिनमें एक प्रोफेसर होगा।</p> <p>(2) कुलपति तथा प्रोफेसर के अतिरिक्त वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तब तक होगा जब तक वे कार्यकारी परिषद् के सदस्य होंगे।</p> <p>(3) वित्त समिति के प्रकार्य एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-</p> <p>(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जाँच तथा परीक्षण करना तथा वित्तीय मामलों पर कार्यकारी परिषद् को सिफारिश करना;</p> <p>(ख) नये खर्चों के लिए सभी प्रस्तावों पर विचार करना तथा कार्यकारी परिषद् को इसकी सिफारिश करना;</p> <p>(ग) आवधिक लेखा विवरण पर विचार करना तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय के वित्तों की समीक्षा करना तथा पुर्नविनियोजन विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना तथा कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना;</p> <p>(घ) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर, अपनी तरफ से या कार्यकारी परिषद् द्वारा संदर्भित किए जाने या कुलपति द्वारा भेजे जाने पर, कार्यकारी परिषद् को अपनी राय देना तथा सिफारिश करना।</p> <p>(4) वित्त समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी। किसी भी बैठक में वित्त समिति के तीन सदस्यों का कोरम होगा।</p> <p>(5) वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता कुलपति करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में बैठक में चयन किया गया एक सदस्य अध्यक्षता करेगा। सदस्यों में मत-विभिन्नता की</p>

स्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय- 4

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण।	19.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :- (क) कुलपति; (ख) कुलसचिव; (ग) विभागाध्यक्ष; (घ) संविधि या विनियमों द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य अधिकारीगण।
कुलपति।	20.	(1) कुलपति शैक्षिक (अकादमिक) तथा कानून का विशिष्ट विद्वान या प्रसिद्ध विधिवेत्ता होगा। वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा;  (2) कुलपति उपधारा (3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत कम से कम तीन व्यक्तियों (नाम वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित होंगे) के एक पैनल में से शासी परिषद् की सिफारिश के आधार पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होगा;  शर्त यह है कि यदि कुलाधिपति (चांसलर) संस्तुत व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करते हैं तो वह नए सिरे से सिफारिशें मांग सकते हैं।  (3) उपधारा (2) में सन्दर्भित चयन समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक कार्यकारी परिषद् द्वारा, एक अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तथा एक कुलाधिपति द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीशों में से नामांकित किया जाएगा। कुलाधिपति द्वारा नामांकित व्यक्ति समिति का संयोजक होगा;  शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, वह चयन समिति के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जायेगा।  (4) कुलपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या शासी परिषद् द्वारा यथानिर्णित उससे कम अवधि के लिये होगा या सत्तर वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगा, और वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्ति तक आगामी अवधि के लिये पुर्ननियुक्ति के लिये योग्य होगा;  शर्त यह है कि कुलाधिपति (चांसलर), कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत ऐसी अवधि के लिये पद पर बने रहने की उससे अपेक्षा कर सकते हैं, जो उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कुल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं होगी।  (5) कुलपति की परिलब्धियां तथा अन्य सेवा शर्तें विनियमों द्वारा यथानिर्धारित होंगी।  (6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है या

	<p>वह अपनी रूग्णता/बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण अपने दायित्व निर्वाह करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति (चांसलर) को नये कुलपति द्वारा पद ग्रहण किये जाने तक या वर्तमान कुलपति द्वारा अपने पद के कार्य ग्रहण किए जाने तक, जैसी भी स्थिति हो, कुलपति के कार्यों को करने के लिये, विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को पदनामित करने का अधिकार होगा।</p> <p>(7) कुलपति—</p> <p>(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम, संविधियों तथा विनियमों के उपबंधों का विधिवत् पालन किया जाता है, और उसके पास इस प्रयोजन के लिये सभी यथावश्यक शक्तियां होगी;</p> <p>(ख) शासी परिषद्, कार्यकारी परिषद्, शैक्षिक परिषद् की बैठकें बुलायेगा और इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए सभी यथावश्यक ऐसे अन्य कार्य करेगा;</p> <p>(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में शासी परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;</p> <p>(घ) निर्धारित मार्ग निदेशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिये कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कुलाधिपति के साथ परामर्श करके अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा;</p> <p>(ङ) निर्धारित पद्धति के अनुसार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा;</p> <p>(च) के पास विश्वविद्यालय में उपयुक्त अनुशासन बनाए रखने संबंधी सभी शक्तियां होगी;</p> <p>(छ) यदि उसके अभिमत से कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह यथोचित ऐसी कार्यवाही करेगा और उस प्राधिकारी/प्राधिकरण की अगली बैठक में पुष्टि करने के लिये इसकी सूचना देंगे जो सामान्यतः मामले का निपटान करती।</p>
कुलसचिव।	<p>21. (1) कुलसचिव, जो शिक्षाविद् होगा और वह प्रोफेसर की रैंक से कम नहीं होगा, वह कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त होगा और संविधियों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन चयन समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवा शर्तों पर कुलपति के अधीन होगा।</p> <p>(2) कुलसचिव —</p> <p>(क) समस्त अधिकरणों समितियां तथा विश्वविद्यालय की अन्य निकायों का पदेन सचिव होगा तथा सभी बैठकों का संयोजक भी होगा। वह बैठकों के कार्यवृत्त भी लिखेगा तथा उसका अनुसूचन करेगा;</p>



		<p>(ख) विश्वविद्यालय के प्रशासन संबंधी सभी मामलों में कुलपति का प्रमुख सहायक होगा। कार्यकारी परिषद् उन्हें विशेष दायित्व तथा अधिकार प्रदान कर सकती है;</p> <p>(ग) को कुलपति के अनुमोदन से गैर अध्यापन कर्मचारियों जिनमें अंतिम ग्रेड सेवा तथा आकस्मिक कर्मचारी शामिल हैं इस उद्देश्य के लिये गठित निर्धारित प्रक्रिया से चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त करने का अधिकार होगा। वह यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा;</p> <p>(घ) कार्यकारी परिषद् तथा कुलपति के सभी निदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करेगा;</p> <p>(ङ) अभिलेखों, सामान्य मुहरों तथा विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्तियों का परिरक्षक होगा जो कार्यकारी परिषद् उसके प्रभार में रखेगी;</p>
विभागाध्यक्ष।	22.	<p>(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग हेतु एक विभागाध्यक्ष होगा।</p> <p>(2) विभागाध्यक्ष की शक्तियां, प्रकार्य, नियुक्ति तथा सेवा शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित होंगी।</p>
अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी।	23.	<p>(1) इस उद्देश्य के लिये बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी की नियुक्ति लिखित अनुबंध के अनुसार होगी जो विश्वविद्यालय के पास रहेगा तथा उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को भेजी जायेगी।</p> <p>(2) अनुबंध के विषय में विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की तरफ से मध्यस्थता हेतु न्यायाधिकरण के पास भेजा जायेगा जिसमें विनियमों में यथानिर्धारित कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त तीन सदस्य होंगे।</p>
चयन समिति।	24.	कार्यकारी परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों तथा गैर अध्यापन कर्मचारियों जिनमें अंतिम ग्रेड सेवा तथा आकस्मिक कर्मचारी भी शामिल हैं की नियुक्ति के लिये विभिन्न चयन समितियां होंगी। चयन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियायें विनियमों में यथा निर्धारित रूप में होंगी।
संविधि तथा विनियम।	25.	<p>(1) विश्वविद्यालय की पहली संविधि कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा तैयार की जायेगी। उन्हें पहली बैठक में षासी परिषद् के सामने प्रस्तुत किया जायेगा जो इसे संशोधनों सहित या उसके बिना स्वीकार कर सकती है।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय का पहला विनियम कुलपति द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से बनाया जायेगा। उन्हें कार्यकारी परिषद् के सामने इसकी पहली बैठक में रखा</p>

		जायेगा जो इसे संशोधन के बिना या संशोधन सहित स्वीकार कर सकती है । बाद के विनियम या विनियमों में संशोधन कार्यकारी परिषद् द्वारा किये जायेंगे । बाद की संविधि या संविधि में संशोधन शासी परिषद् द्वारा किये जायेंगे ।
प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति।	26.	इस अधिनियम तथा संविधि में कुछ भी रहते हुये प्रथम कुलपति जो विधि में विद्वान व्यक्ति या प्रसिद्ध न्यायविद होगा, उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी जो कुलपति के पद पर तीन वर्ष की अवधि या किसी नियमित कुलपति की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, कार्य करेगा । पहला कुलसचिव जो विधिवेत्ता होगा कुलपति की सिफारिशों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा । उक्त अधिकारी अपने पद पर तीन वर्ष की अवधि या कुल सचिव की नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक कार्य करेगा ।
मानद उपाधियाँ।	27.	यदि शैक्षिक परिषद् के दो तिहाई या अधिक सदस्यों की सिफारिश है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मानद उपाधि या शैक्षिक विशेषज्ञता उपाधि प्रदान की जाये जो उनकी राय में प्रसिद्धि तथा पद पर होने के कारण उस उपाधि या शैक्षिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये उपयुक्त है तो शासी परिषद् एक संकल्प द्वारा निर्णय ले सकती है कि वह उपाधि संस्तुति किये गये व्यक्ति को प्रदान कर दी जाये ।
डिग्री या डिप्लोमा वापिस लेना।	28.	(1) शासी परिषद्, कार्यकारी परिषद् की सिफारिश पर शासी परिषद् की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उसकी बैठक में उपस्थित सदस्य जो दो-तिहाई बहुमत से कम न हो, के मतदान द्वारा पारित संकल्प से किसी व्यक्ति को प्रदत्त किसी विशेषज्ञता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापिस ले सकती है यदि ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के लिये जो शासी परिषद् की राय में चारित्रिक पतन से संबंधित है या वह भारी दुराचार का दोषी है ।  (2) उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये एक अवसर प्रदान नहीं किया जाता ।  (3) शासी परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तत्काल भेजी जायेगी ।  (4) शासी परिषद् के निर्णय से संतप्त कोई व्यक्ति उक्त संकल्प प्राप्त करने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है ।  (5) कुलाधिपति का निर्णय उस अपील में अंतिम माना जायेगा ।
अनुशासन।	29.	(1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाये रखने के लिये अंतिम उत्तरदायी अधिकारी कुलपति होगा । इस विषय में उसके निदेशों का विभागाध्यक्षों, होस्टलों तथा संस्थानों द्वारा पालन किया जायेगा;  (2) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुये किसी विद्यार्थी के विरुद्ध परीक्षा के लिये प्रतिबंध लगाने या किसी होस्टल या संस्थान या विश्वविद्यालय से निकालने की

		कार्यवाही कुलपति की रिपोर्ट पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार करके की जायेगी;  बशर्ते कि ऐसे किसी भी दंड देने हेतु संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही, कारण बताने का अवसर दिये बिना नहीं की जायेगी ।
नियुक्तियों की वैधता।	30.	किसी अन्य विधि या विलेख जो तत्समय लागू होने के कारण कानून की शक्तियां रखता है, में कुछ भी रहते हुये विश्वविद्यालय में संविधि या विनियमों के अनुसार किसी पद पर की गई नियुक्ति को वैध तथा विधि के अनुसार माना जायेगा ।
रिक्तियों आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।	31.	शासी परिषद् कार्यकारी परिषद् या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किये गये किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर अमान्य या चुनौती नहीं दी जायेगी कि उस समय कोई रिक्त स्थान था या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।
सामान्य कार्यवाहियों की माफी।	32.	विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण या किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये कोई मुकद्दमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो उसने सदभावनापूर्वक इस अधिनियम या संविधि या विनियमों या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में किया है ।
अभिभावी प्रभाव।	33.	इस अधिनियम या विनियमों, संविधि तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानून या कानून की शक्ति प्राप्त विलेख में उल्लिखित असंगत प्रावधान होते हुये भी लागू होंगे ।
कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।	34.	यदि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी अधिकरण के प्रथम गठन या पुनर्गठन में या अन्यथा इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो कुलाधिपति आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बना सकता है जो वह कठिनाईयों को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन समझता है । ये प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों की विसंगति में नहीं होंगे ।  बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात ऐसे आदेश नहीं दिये जायेंगे ।
प्रायोजित स्कीमें योजनायें।	35.	जब विश्वविद्यालय किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य अभिकरण से उनके द्वारा प्रायोजित योजना के विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित किये जाने के लिए निधि प्राप्त करता है तो इस अधिनियम या विनियमों में कुछ भी रहते हुये—

		<p>(क) यह प्राप्त राशि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि से अलग रखी जायेगी तथा केवल योजना के उद्देश्यों हेतु प्रयोग की जायेगी; तथा</p> <p>(ख) योजना के निष्पादन हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति प्रायोजन करने वाले संगठन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार की जायेगी ।”</p>
--	--	---

*राकेश स्याल*  
(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव ( विधि, न्याय एवं विधायी कार्य )